



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-13012026-269313  
CG-GJ-E-13012026-269313

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]  
No. 33]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSAH 22, 1947

## अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

### अधिसूचना

गांधीनगर, 7 जनवरी, 2026

### अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2026

आईएफएससी/जीएन/2026/005.— अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 28 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1); भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 28ग के साथ पठित धारा 30; और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 23द्व के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2026 (इसके बाद मुख्य विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है,, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकता है।  
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- मुख्य विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते यह कि आईएफएससी में कोई इकाई, जो कई कार्यकलाप करना चाहती है, ऐसे कई कार्यकलापों के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से एकीकृत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर सकती है।”

3. मुख्य विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में,

- “या वीमांकिक विज्ञान” शब्दों को “वीमांकिक विज्ञान, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी या गणित” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा; और
- “विदेशी विश्वविद्यालय” शब्दों से पहले आने वाला शब्द “मान्यता प्राप्त” हटा दिया जाएगा।

4. मुख्य विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में, पहले परंतुक में, शब्द “दस” को शब्द “पांच” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मुख्य विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (8) में, पहले उपबंध को निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“बशर्ते कि मध्यस्थ विक्रेता, समाशोधन सदस्य, निक्षेपागार भागीदार, निवेश सलाहकार, अनुसंधान एंटीटी, संरक्षक या रजिस्ट्रीकृत वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण वाली कोई एंटीटी इन कार्यकलापों के लिए उसी व्यक्ति को प्रधान अधिकारी रख सकती हैः”

6. मुख्य विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (8) में, पहले उपबंध के बाद, निम्नलिखित उपबंध समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते कि ऊपर दिए गए उपबंधों में बताए गए कई कार्यकलाप करने वाली एंटीटी के पास अपने वितरण व्यवसाय कार्यकलापों के लिए एक पृथक अधिकारी वर्टिकल प्रमुख के रूप में होना चाहिएः”

7. मुख्य विनियमों के विनियम 47 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

“(2क) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2026 के प्रारम्भ होने की तारीख से, “परिसंपत्तियों/प्रतिभूतियों के संरक्षक के रूप में मान्यता” शीर्षक वाली दिनांक 24 फरवरी, 2021 की आईएफएससीए परिपत्र संख्या एफ. संख्या. 224/आईएफएससीए/सीएमडी-डीएमआईआईटी/सीयूएसटी/2021/1 को रद्द माना जाएगा।”

8. मुख्य विनियमों की अनुसूची-I के तीसरे कॉलम में, क्रम संख्या 4 वाली पंक्ति में, “प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट” शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अमेरिकी डॉलर 1 मिलियन

[प्राधिकरण के साथ पहले से रजिस्ट्रीकृत संरक्षक, यदि संशोधित निवल मूल्य आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त निधि डालने या पृथक रखने की आवश्यकता हो, तो वे 30 जून, 2026 तक संशोधित मानदंडों का पालन करेंगे।]”

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./609/2025-26]

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**  
**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 7th January, 2026

**International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2026**

**IFSCA/GN/2026/005.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); Section 30 read with Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); and Section 25 read with Section 23G of Depositories Act, 1996, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2026 (hereinafter referred to as the principal regulations), namely:—

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2026.  
 (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 4 of the principal regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:—  
 “Provided that a unit in IFSC desirous of undertaking multiple activities may obtain a unified registration for such multiple activities, in such manner as may be specified by the Authority.”
3. In regulation 9 of the principal regulations, in sub-regulation (2), in clause (a),
  - i. for the words “or actuarial science” the words “, actuarial science, fintech, science, technology, engineering or mathematics” shall be substituted; and
  - ii. the word “recognised” appearing before the words “foreign university” shall be omitted.
4. In regulation 9 of the principal regulations, in sub-regulation (2), in clause (a), in the first proviso, for the word “ten” the word “five” shall be substituted.
5. In regulation 9 of the principal regulations, in sub-regulation (8), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—  
 “Provided that an entity with registration as a broker dealer, clearing member, depository participant, investment adviser, research entity, custodian or registered distributor may have the same person as principal officer for these activities.”
6. In regulation 9 of the principal regulations, in sub-regulation (8), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—  
 “Provided further that an entity undertaking multiple activities, as mentioned in the above proviso, shall have a separate official as a vertical head for its distribution business activities.”
7. In regulation 47 of the principal regulations, after sub-regulation (2), following sub-regulation shall be inserted, namely:  
 “(2A) On and from the commencement of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2026, the IFSCA Circular No. F. No. 224/IFSCA/CMD-DIIT/CUST/2021/1 titled “Recognition as Custodian of assets/securities” dated February 24, 2021, shall stand superseded.”
8. In Schedule-I of the principal regulations, in third column, in row at serial number 4, for the words “As specified by the Authority from time to time” the following shall be substituted:  
 “USD 1 million  
 [Custodians already registered with the Authority, if required to infuse or earmark additional funds in accordance with the revised net worth requirements, shall comply with the revised norms by June 30, 2026.]”

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./609/2025-26]